रजि॰ नं॰ डी॰ एल॰-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 66] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1998/अग्रहायण 25, 1920
No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 1998/AGRAHAYANA 25, 1920

भारतीय प्रेस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1998

मिसिल संख्या 17/9/98-99-पी॰सी॰आई॰.—भारतीय प्रेस परिषद्, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा-26 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुपालन करते हुए,—प्रेस परिषद् (बैठकें आयोजित करने एवं कार्य-निष्पादन हेतु प्रक्रिया) विनियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

1. इन विनियमों को प्रेस परिषद् (बैठकें आयोजित करने एवं कार्य-निष्पादन हेतु प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 1998 कहा जाये।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
3. प्रेस परिषद (बैठकें आयोजित करने एवं कार्य-निष्पादन हेतु प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 4-''के उपबंध में, बैठकों में कोरम'' निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जावेगा :—

''परन्तु जहां कोरम पूरा न हो, सभा हेतु समय देने के लिए बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जा सकती है हालांकि, कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित होने के पश्चात् कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा।''

पेम कुमार, सचिव

[सं. विज्ञापन/III/IV/149/98]

पाद टिप्पण : मुख्य विनियम 14 नवम्बर, 1979 को अधिसूचित किये गये।

1448

PRESS COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1998

F.No. 17/9/98-99-PCI.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section-26 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Press Council of India hereby makes the following amendment to the Press Council (Procedure for Conduct of Meetings & Business) Regulations, 1979 :

1. These Regulations may be called the Press Council (Procedure for Conduct of Meetings & Business) (Amendment) Regulations, 1998.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Press Council (Procedure for Conduct of Meetings & Business) Regulation 1979, in the proviso to Regulation 4–"Quorum at Meetings", the following proviso shall be substituted :—

"Provided that where there is no quorum, the meeting may be adjourned for an hour to allow time for assembly, so, however, that no quorum shall be necessary in respect of the meeting adjourned for lack of quorum".

PREM KUMAR, Secy.

[No. Advt./III/IV/149/98]

Foot Note : The Principal Regulations were notified on November 14, 1979.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.